07/01/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते
आदेश हेतु पेश की गई। वकील
प्रार्थी उप.। हमने पत्रावली का
अवलोकन तथा अध्ययन किया गया।
पत्रावली के वकील प्रार्थी को बहस पर
मनन किया गया। अतः प्रार्थी का
प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से खारिज हो। बाद, शर्त दाखिल दफ्तर
हो। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा
जाकर शा० कि० किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)
परिवाद संख्या :– 64 / 24
दायर दिनांक :– 06.11.2024
निर्णय दिनांक :– 07/1/2025

उनवान

1. विरेन्द्र यादव पुत्र दीपचन्द पुत्र सोहन जाति अहीर निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ जिला–कोटपूतली–बहरोड़ –प्रार्थी–

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़। अप्रार्थी

दावा इस्तकरार हक दुरूस्ती।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता वादी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मन प्रार्थी के पिता दीपचन्द पुत्र सोहन जाति अहीर निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बहरोड़ में हो चुका है। जिसका मन प्रार्थी के दादा श्री सोहन पुत्र श्रः बब्लू जाति अहीर की खातेदारी की आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम कल्याणपुरा वाके ग्राम बर्डोद , वाके ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम में स्थ्ज्ञित थी। जिनके र्स्वगवास होने के प्श्चात नियमानुसार उनके विधिक वारिसान धुमीलाल एवं दीपचन्द के नाम इंतकाल खोला जाना था। जिसमें ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम की आराजी खसरा नम्बर 639 एवं 640 का इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा मन प्रार्थी के दादा सोहन के विधिक वारिसान दीपचन्द के स्थान पर भोमचन्द दर्ज कर दिया गया। जो गलत है। हाल जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 639 एवं 640 के खाता संख्या 50 वाके ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम के क्रम संख्या 9 पर दौराने दर्ज करने इंतकाल से ही दीपचन्द के स्थान पर भोमचन्द नाम चला आ रहा है। एवं ग्राम कल्याणपुरा एवं गगाम बर्डोद में स्थित आराजी पर मन प्रार्थी के दादा सोहन के स्वर्गवास होने के प्श्चात उनके जायज वारिसान धुमीलाल एवं दीपचन्द के नाम इंतकाल सही दर्ज किया गया। जिसकी नामान्तकरण की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। आराजी खसरा नम्बर 639 एवं 640 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम तर्फ बलराम पटवार हल्का बहरोड़ तर्फ बलराम के राजस्व रिकार्ड में मन प्रार्थी के पिता दीपचन्द पुत्र सोहन के स्थान पर अमला मान की असावधानी के कारण पूर्व में मन प्रार्थी के दादा सोहन के स्वर्गवास के पश्चात दर्ज करते समय दीपचन्द के स्थान पर भोमचन्द दर्ज कर दिया गया जो अशुद्व नाम भोमचन्द रिपीट होता आ रहा है। जिसका ज्ञान मन प्रार्थी के पिता दीपचन्द जो पढे लिखे नही थे नही हो सका। अब मन प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर दिखलाया तो मन प्रार्थी के पिता के सही एवं शुद्व नाम दीपचन्द के स्थान पर अशुद्व नाम भोमचन्द अंकित पाया जिस अशुद्वि को शुद्व करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी श्रःमान के समक्ष प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन है कि मन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर बाद गझैर श्रीमारन तहसीलदार महोदय को आराजी हाल जमाबन्दी खसरा नम्बर 639 एवं 640 के

क्रम संख्या 9 पर पटवार हल्का वाके ग्राम बहरोड़ तर्फ बलराम पर अंकित मन प्रार्थी के पिता के अशुद्व नाम भोमचन्द पुत्र सोहन के स्थान पर दीपचन्द पुत्र सोहन करने के आदेश दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 639 एवं 640 के खाता संख्या 50 वाके ग्राम बहरोड तर्फ बलराम के क्रम संख्या 9 पर भोमचन्द पुत्र सोहन दर्ज है। नाम शुद्वीकरण हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष की गयी कार्यवाही में आदेश होने पर राजस्व रिकार्ड में शुद्वी की पालना की जावेगी। बाकि कथन प्रार्थी स्वंय सिद्व करे।

हमारे द्वारा प्रार्थी वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। वादी अपने पिता का नाम विवादित आराजी में अशुद्व नाम भोमचन्द पुत्र सोहन के स्थान पर दीपचन्द पुत्र सोहन दर्ज करवाना चाहता है। इन्तकाल नम्बर 87 ग्राम कल्याणपुरा व 557 ग्राम बर्डोद मृतक सोहन बल्द बल्लू अहीर साकिन कल्याणपुरा 1/2 भाग की विरासत दीपचन्द धुमीलाल पिसर सोहन अहीर साकिन कल्याणपुरा स्वीकार की गई है। उक्त मृतक के ग्राम बहरोड तरफ बलराम की आराजी के बाबत आराजी इंतकाल नम्बर 98 मृतक सोहन पुत्र बल्लू अहीर साकिन कल्याणपुरा हिस्सा 1/3 की विरासत मृतक सोहन के स्थान पर धु मीलाल भोमचन्द के नाम स्वीकार की गई है। ग्राम बहरोड तरफ बलराम में मृतक के पुत्र दीपचन्द का नाम भोमचन्द दर्ज किया गया है। जो काबिल दुरूस्ती है।

:- आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 639 व 640 वाके ग्राम बहरोड तरफ बलराम तहसील बहरोड के हाल इन्द्राज भोमचन्द पुत्र सोहन हिस्सा 1/6 कलमजन कर दीपचन्द पुत्र सोहन हिस्सा 1/6 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड वास्ते अमल दराद जारी किया जावे।

आज दिनांक 07/1/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)